भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3227

जिसका उत्तर सोमवार,16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर लगाए जाने वाले प्रभार

3227. श्री अमरा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर प्रतिवर्ष प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसान क्रेडिट कार्ड पर क्या-क्या प्रभार लगाए जा रहे हैं और उनका आधार क्या है;

(ग) क्या कार्ड धारकों से निरीक्षण करने की कोई पुष्टि प्राप्त की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसान क्रेडिट कार्ड पर एक वर्ष में निरीक्षण प्रभार कितनी बार लगाया जाता है;

(ड.) किसान क्रेडिट कार्ड पर मासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक आधार पर कितनी ब्याज दर ली जा रही है; और

(च) क्या भूमि का ऑनलाइन खाता प्रमाण किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वैध है और यदि हां, तो बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अधिवक्ता की जांच रिपोर्ट लिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 4.7.2018 के परिपत्र के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क, निरीक्षण प्रभारों और अन्य प्रभारों का निर्धारण बैंकों द्वारा अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाई और वित्तीय परेशानी को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को 3 लाख रुपये तक के केसीसी ऋणों की प्रोसेसिंग, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण और अन्य सभी सेवा प्रभारों को माफ करने के लिए परामर्शिका जारी की है।

(ग) से (घ): बैंकों द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंकों और केसीसी धारक के बीच प्रलेखों के निष्पादन के भाग के रूप में निरीक्षण करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक की अनुमति प्राप्त की जाती है। निरीक्षण प्रभारों की राशि और आवधिकता संबंधी निर्णय संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार लिया जाता है।

(ङ): केसीसी योजना के अंतर्गत, 3 लाख रुपये तक के ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों का पुनर्भुगतान तत्परता से करते हैं, वे 3% की ब्याज सहायता का लाभ उठा सकते हैं, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से कम होकर 4% प्रति वर्ष तक रह जाता है। 3 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, ब्याज दरें संबंधित बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

(च): नाबार्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंकों ने यह सूचित किया है कि केसीसी आवेदनों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भू-संपदा संबंधी ऑनलाइन रिकॉर्ड स्वीकार किए जाते हैं। तथापि, भू-संपदा संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कानूनी राय ली जाती है, क्योंकि कई राज्यों में भू-संपदा संबंधी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने यह सूचित किया है कि कृषि भूमि के स्वामित्व और उस पर कोई सरकारी मांग लंबित न होने से संबंधित प्रमाण पत्र तहसीलदारों से प्राप्त किए जाते हैं। तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के मामले में, पैनल के अधिवक्ता से सर्च रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

****